संख्या-21/2018/937/38-4-18-123(विविध)/2017

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 **लखनऊ : दिनांक 06 जुलाई, 2018**

विषय- मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-06/2018/216/38-4-18-123(विविध)/2017, दिनांक 02 फरवरी,2018 के प्रस्तर-2(5) वित्तीय प्रबन्धन के उपप्रस्तर 2(5.1), 2(5.2) एवं 2(5.3) में संशोधन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अपने पत्र संख्या- जी.ओ. 123/सम्प्रेक्षा/ मु.आ.यो.-ग्रा., दिनांक 24 मई, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासनादेश संख्या- 06/2018/216/38-4-18-123(विविध)/2017, दिनांक 02 फरवरी, 2018 के प्रस्तर-2 के उप प्रस्तर-2(5.1), 2(5.2) एवं 2(5.3) वित्तीय प्रबन्धन में संशोधन का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में आपके उक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-06/2018/216/38-4-18-123(विविध)/2017, दिनांक 02 फरवरी, 2018 के प्रस्तर-2(5) के उप प्रस्तर-2(5.1), 2(5.2) एवं 2(5.3) में विहित वित्तीय प्रबन्धन में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

2(5)-वित्तीय प्रबन्ध-

शासनादेश संख्या- 06/2018/216/38-4-18-123(विविध)/2017, दिनांक 02 फरवरी, 2018 के प्रस्तर-2(5) में विहित व्यवस्था	शासनादेश संख्या- 06/2018/216/38-4-18-123(विविध)/2017, दिनांक 02 फरवरी, 2018 के प्रस्तर-2(5) वित्तीय प्रबन्धन के अन्तर्गत एतदद्वारा संशोधित व्यवस्था
प्रस्तर-2(5) वित्तीय प्रबन्धन **उपप्रस्तर-2(5.1)** योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि की अवमुक्ति के पश्चात इसके रख-रखाव हेतु आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश के स्तर पर इस योजना का एक पृथक बचत खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में खोला जायेगा। **उपप्रस्तर-2(5.2)** आयुक्त, ग्राम्य विकास के स्तर से संबंधित चिन्हित जनपद जिनमें उक्त योजना से	**प्रस्तर-2(5) वित्तीय प्रबन्धन** **उपप्रस्तर-2(5.1)** योजनान्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि वित्तीय नियमों के अन्तर्गत आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 के निर्वतन पर रखी जायेगी। **उप प्रस्तर-2(5.2)** आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 द्वारा संबंधित जनपदों की मांग/ आवश्यकतानुरूप जनपदों को

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

आच्छादित परिवारों हेतु आवासों का निर्माण कराया जाना हो, उन जनपदों में धनराशि के रख-रखाव हेतु जनपद स्तर पर इस योजना का एक पृथक बचत खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में खोला जायेगा। **<u>उपप्रस्तर-2(5.3)</u>** लाभार्थियों के खाते में धनराशि का अन्तरण जनपद स्तरीय खाते से सीधे ऑनलाइन FTO/RTGS/NEFT के माध्यम से किया जायेगा।	धनराशि आवंटित की जायेगी। संबंधित जनपद के आहरण वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से ई-पेमेण्ट के माध्यम से सीधे मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत चिन्हित पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में धनराशि अंतरित की जायेगी।

3- कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
अनुराग श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव

<u>संख्या- 21/2018/937(1)/38-4-2018, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 शासन।
3- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उ0 प्र0 शासन।
5- प्रमुख सचिव, न्याय, उ0 प्र0 शासन।
6- प्रमुख सचिव, नियोजन, उ0 प्र0 शासन।
7- प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0 प्र0 शासन।
8- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन।
9- स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0 प्र0 शासन।
10- निदेशक पंचायतीराज, उ0 प्र0।
11- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
12- समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
13- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
14- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
15- समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
16- समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
17- निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।
18- समस्त अनुभाग, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
19- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अच्छे लाल सिंह यादव
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in